



# बिहार की एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण हुई, पर इससे प्रश्न ज्यादा खड़े हुए उत्तर कम मिले

**उदाहरण के लिए तीस लाख ऐसे वोटर हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, अब विधानसभा में वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया**

-रेपू मित्तल--

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की चुकी है, लेकिन आपका अधिकारी वैटर की पहली सीटों बंटवारा, गठबंधन समझदारों की सीटों और सीट समायोजन की लेकर अपी भी रसाकशी जारी है।

कांग्रेस ने अपनी केन्द्रीय इलैक्शन कमेटी (सीईसी) की पहली और आखिरी वैटर की पहली सीटों और उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन अब तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि कौन सी सीटों को कांग्रेस को मिली है और कुल कितनी सीटें दी गई हैं।

इस बीच, गठबंधन के भीतर अब चर्चा इस बात की चल रही है कि महागठबंधन में तीन उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनका चयन जातीय संतुलन के आधार पर किया जाएगा।

- चुनाव आयोग के अनुसार, 21.53 लाख वोटर नये जुड़े हैं, पर इनमें से 16.93 लाख वोटर के ही "फार्म 6" उपलब्ध हैं, बाकी 4.6 लाख "फार्म 6" कहाँ गये, क्या यह वोटर बिना प्रक्रिया के ही जुड़े गये?
- नये वोटर में से दस प्रतिशत वोट केवल 15 ऐसेंबली सीटों में ही जोड़े गये हैं। अभी भी पाँच लाख द्विलीकेट वोटर हैं, मतदाता सूची में, इनका शुद्धीकरण कैसे होगा।
- इस प्रक्रिया की जटिलता समझते हुए, लालू यादव अपी भी महागठबंधन की सीटों का बैट्वारा फाइनल नहीं कर रहे हैं। वे अंतिम समय तक सबको लटकाये रखेंगे। अंतिम क्षणों में वो अपना फार्मूला प्रकट करेंगे, तब हताश होकर सभी घटक राजी होकर सीटों का बैट्वारा स्वीकार कर लेंगे। चार्या यह भी है कि यदि महागठबंधन सरकार सत्ता में आई तो जातिगत समीकरण को संतुष्ट करने के लिए तीन उपमुख्यमंत्री बनेंगे।

लालू प्रसाद यादव, जिन्हें गठबंधन कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका अब तक राजनीति का मारियर खिलाई माना जाता है, यह बिल्कुल एकटक वितरण में सभी दोनों को आखिरी समय तक अनिश्चिता में रखेंगे। लेकिन जातीय संटोष दी जाए तो वे बिना विरोध स्वीकार कर लेंगे। यह एक ऐसा खेल है, जिसमें आयोग ने बिहार में स्पेशल इंसिव लालू यादव हमेशा माहिर साबित हुए हैं। रिविजन (एसआईआर) के तहत हालांकि, चुनाव आयोग को लेकर मतदाता सूची का पुरुषीकरण किया और

राज्य में आगामी चुनावों के लिए 7.42 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं की अंतिम सूची की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आपोह है कि आयोग ने मध्यम से, पढ़ने योग्य मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई, जिससे किसी भी तह का विलोपण करना बेहद कठिन हो गया है। इसके अलावा, आयोग ने मतदाता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रशांत किशोर ने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर पीड़ियों से गणित की पाठ्य-योग्यता की लिखन वाले गणितक, पूर्व नौकरशाह, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और डॉक्टर, ये सब उन 51 उम्मीदवारों में शामिल हैं, जिनकी घोषणा आज दोपहर प्रातिष्ठानिक किशोर के नेतृत्व लालू जन सुरक्षा पार्टी ने की। यह बिहार में अगले महीने हो गई है।

- इनमें 16 प्रतिशत मुसलमान तथा 17 प्रतिशत अंतिपिछड़ा वर्ग से हैं।

होने वाले दो चर्चाओं के चुनाव के लिए जन सुरक्षा पार्टी की पहली सूची है। पहली सूची में 16 प्रतिशत उम्मीदवारों के चयन में उनकी स्वच्छ छवि को प्रमुख मानदंड बनाया गया।

किशोर ने चुनावी प्रकाबले के लिए कई पूर्व नौकरशाह और उल्लिखित अधिकारियों को भी उम्मीदवार बनाया है।

प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, में कहा गया कि एक किशोर को कोई एससीबीए सदस्यता न्यायालय के अधिकारी (आफिसर) कार्ड जारी किया गया है तो वह "युरें ऑफ द कोर्ट" का ऐसा "घृणित, रह और जल्द" का विवाह किया जाता है। साथ ही, अव्यवस्थित और असंयोगित व्यवहार" सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह अनुचित और बार के सदस्यों से संदेश भेजा जाएगा कि उनका अपेक्षित अनुशासन के विपरीत है।

प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, में कहा गया कि एक किशोर को कोई एससीबीए सदस्यता न्यायालय के अधिकारी (आफिसर) कार्ड जारी किया गया है तो वह "युरें ऑफ द कोर्ट" का ऐसा "घृणित, रह और जल्द" का विवाह किया जाता है। साथ ही, अव्यवस्थित और असंयोगित व्यवहार" सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह अनुचित और बार के सदस्यों से संदेश भेजा जाएगा कि उनका अपेक्षित अनुशासन के विपरीत है।

प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, में कहा गया कि एक किशोर को कोई एससीबीए सदस्यता न्यायालय के अधिकारी (आफिसर) कार्ड जारी किया गया है तो वह "युरें ऑफ द कोर्ट" का ऐसा "घृणित, रह और जल्द" का विवाह किया जाता है। साथ ही, अव्यवस्थित और असंयोगित व्यवहार" सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह अनुचित और बार के सदस्यों से संदेश भेजा जाएगा कि उनका अपेक्षित अनुशासन के विपरीत है।

प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, में कहा गया कि एक किशोर को कोई एससीबीए सदस्यता न्यायालय के अधिकारी (आफिसर) कार्ड जारी किया गया है तो वह "युरें ऑफ द कोर्ट" का ऐसा "घृणित, रह और जल्द" का विवाह किया जाता है। साथ ही, अव्यवस्थित और असंयोगित व्यवहार" सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह अनुचित और बार के सदस्यों से संदेश भेजा जाएगा कि उनका अपेक्षित अनुशासन के विपरीत है।

प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, में कहा गया कि एक किशोर को कोई एससीबीए सदस्यता न्यायालय के अधिकारी (आफिसर) कार्ड जारी किया गया है तो वह "युरें ऑफ द कोर्ट" का ऐसा "घृणित, रह और जल्द" का विवाह किया जाता है। साथ ही, अव्यवस्थित और असंयोगित व्यवहार" सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह अनुचित और बार के सदस्यों से संदेश भेजा जाएगा कि उनका अपेक्षित अनुशासन के विपरीत है।

प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, में कहा गया कि एक किशोर को कोई एससीबीए सदस्यता न्यायालय के अधिकारी (आफिसर) कार्ड जारी किया गया है तो वह "युरें ऑफ द कोर्ट" का ऐसा "घृणित, रह और जल्द" का विवाह किया जाता है। साथ ही, अव्यवस्थित और असंयोगित व्यवहार" सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह अनुचित और बार के सदस्यों से संदेश भेजा जाएगा कि उनका अपेक्षित अनुशासन के विपरीत है।

प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, में कहा गया कि एक किशोर को कोई एससीबीए सदस्यता न्यायालय के अधिकारी (आफिसर) कार्ड जारी किया गया है तो वह "युरें ऑफ द कोर्ट" का ऐसा "घृणित, रह और जल्द" का विवाह किया जाता है। साथ ही, अव्यवस्थित और असंयोगित व्यवहार" सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह अनुचित और बार के सदस्यों से संदेश भेजा जाएगा कि उनका अपेक्षित अनुशासन के विपरीत है।

प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, में कहा गया कि एक किशोर को कोई एससीबीए सदस्यता न्यायालय के अधिकारी (आफिसर) कार्ड जारी किया गया है तो वह "युरें ऑफ द कोर्ट" का ऐसा "घृणित, रह और जल्द" का विवाह किया जाता है। साथ ही, अव्यवस्थित और असंयोगित व्यवहार" सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह अनुचित और बार के सदस्यों से संदेश भेजा जाएगा कि उनका अपेक्षित अनुशासन के विपरीत है।

प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, में कहा गया कि एक किशोर को कोई एससीबीए सदस्यता न्यायालय के अधिकारी (आफिसर) कार्ड जारी किया गया है तो वह "युरें ऑफ द कोर्ट" का ऐसा "घृणित, रह और जल्द" का विवाह किया जाता है। साथ ही, अव्यवस्थित और असंयोगित व्यवहार" सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह अनुचित और बार के सदस्यों से संदेश भेजा जाएगा कि उनका अपेक्षित अनुशासन के विपरीत है।

प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, में कहा गया कि एक किशोर को कोई एससीबीए सदस्यता न्यायालय के अधिकारी (आफिसर) कार्ड जारी किया गया है तो वह "युरें ऑफ द कोर्ट" का ऐसा "घृणित, रह और जल्द" का विवाह किया जाता है। साथ ही, अव्यवस्थित और असंयोगित व्यवहार" सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह अनुचित और बार के सदस्यों से संदेश भेजा जाएगा कि उनका अपेक्षित अनुशासन के विपरीत है।

प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, में कहा गया कि एक किशोर को कोई एससीबीए सदस्यता न्याय













